"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2011—आश्विन 8, शक 1933

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बृजमोहन शर्मा आत्मज स्व. नारायण शर्मा, उम्र 46 वर्ष, निवासी मकान नं. 1, आई, सड़क 38, सेक्टर-6, भिलाई नगर, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे नौकरी के सभी रिकार्ड व शैक्षणिक रिकार्ड में मेरे नाम के साथ उपनाम (सरनेम) शर्मा लिखा गया है. यह कि मेरे पूर्वजों का व्यवसाय सोना-चांदी का होने के कारण हम लोग उपनाम (सरनेम) सोनी भी लिखते हैं जिससे मेरी पत्नी के नाम के साथ सोनी लिखा गया है तथा मेरे पुत्रों के जन्म प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेजों में नाम के साथ सोनी लिखा गया है.

यह कि मेरे पुत्र विनीत सोनी के हाईस्कूल सर्टिफिकेट में मेरा नाम बृजमोहन सोनी लिखा गया है जो कि गलत है. मेरे नाम के साथ लिखे गये "सोनी" को हटाकर सभी दस्तावेजों में अपने नाम के साथ "शर्मा" लिखे जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे बृजमोहन शर्मा आत्मज स्व. नारायण शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
बृजमोहन सोनी आत्मज-स्व. नारायण शर्मा निवासी-मकान नं. 1/आई, सड़क 38, सेक्टर 6, भिलाई नगर तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	बृजमोहन शर्मा आत्मज-स्व. नारायण शर्मा निवासी-मकान नं. 1/आई, सड़क 38, सेक्टर 6, भिलाई नगर तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 7 सितम्बर 2011

प्ररूप क्रमांक-04

[देखें नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष

क्रमांक /1761/प्र. 2/अ. वि. अ./2011.—यत: कि श्री संजय एम. उमक मैनेजिंग ट्रस्टी, निवासी 144 रामनगर भिलाई, पो. सुपेला, तहसील व जिला दुर्ग द्वारा श्री सांई बाबा वेल्फेयर ट्रस्ट, इन्दू आई. टी. स्कूल के पास, कुरूद रोड कोहका भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग के छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची मे विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया गया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 13-10-2011 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री सांई बाबा वेल्फेयर ट्रस्ट, इन्दू आई. टी. स्कूल के पास कुरूद रोड कोहका, भिलाई
2.	चल संपत्ति	:	1,11,111-00/- रुपये
3.	अचल संपत्ति	:	20,00,000-00 (बीस लाख) (4000 वर्गफीट भूमि की कीमत)

क्यू. ए. खान,
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.